

प्रेषक

सचिवदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेगूसराय।

पटना, दिनांक 19.03.2018

विषय- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101 आयुर्वेद-0001 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय, विपत्र कोड- 20-2210051010001 मांग सं० 20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न इकाईयों में तृतीय अनुपूरक से उपबंधित राशि कुल- 1,53,40,000/- (एक करोड़ तीरपन लाख चालीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए कुल 1,53,40,000/- (एक करोड़ तीरपन लाख चालीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश से वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.4.1998 एवं राज्यादेश संख्या-428/वि० दिनांक 31.03.2017 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3002/वि० दिनांक-26.4.2017 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं० 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य -05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101 आयुर्वेद-0001 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय विपत्र कोड 20-2210051010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध से की जाएगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेगूसराय तथा नियंत्री पदा० प्राधिकृत पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक - 12.2.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में उपबंधित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उसमें निहित शर्त के अनुसार ही किया जायेगा।

11. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह फरवरी 2018 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात् ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायगा।

12. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से पूर्व में निर्गत आवंटन के अतिरिक्त यह आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/3/18

ज्ञाप सं०- 46 'ब' (आ.चि.)

/पटना, दिनांक - 19.03.2018

सरकार के विशेष सचिव

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिलाधिकारी, बेगूसराय/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव 19/3/18

0001 आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय वित्तीय वर्ष 2017-18

विवरण

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	तृतीय अनुपूरक की राशि	कुल उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वेतन	01 01	17661000	6500000	24161000	17661000	6500000	24161000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	23135000	3000000	26135000	23135000	3000000	26135000	0
3	मकान किराया भत्ता	01 04	1766000	470000	2236000	1766000	470000	2236000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	154000	3000	157000	154000	3000	157000	0
6	अन्य भत्ता	01 07	21000	27000	48000	21000	27000	48000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		42737000	10000000	52737000	42737000	10000000	52737000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	200000	0	200000	200000	0	200000	0
8	यात्रा व्यय	11 01	30000	0	30000	30000	0	30000	0
9	कार्यालय व्यय	13 01	500000	0	500000	500000	0	500000	0
10	दूरभाष	13 03	15000	0	15000	15000	0	15000	0
11	विद्युत प्रभार	13 04	60000	5100000	5160000	60000	5100000	5160000	0
12	विधि प्रभार	13 05	50000	0	50000	50000	0	50000	0
13	बर्दी पोशाक	13 06	57000	0	57000	57000	0	57000	0
14	किराया म0 एवं कर	14 01	50000	0	50000	50000	0	50000	0
15	प्रशिक्षण व्यय	20 03	0	0	0	0	0	0	0
16	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	1500000	0	1500000	1500000	0	1500000	0
17	दवा भंडार	21 02	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000	0
18	आहार एवं पथ्य	21 03	300000	0	300000	300000	0	300000	0
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत	27 02	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0
19	सविदा सेवार्य	28 02	2500000	240000	2740000	2500000	240000	2740000	0
20	छात्रवृत्ति / वजीफा	34 01	0	0	0	0	0	0	0
21	मशीन एवं उपस्कर	52 01	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0
	योग		51999000	15340000	67339000	51999000	15340000	67339000	0

(एक करोड़ तीरपन लाख चालीस हजार) रू० मात्र

46'ब' (आ.प्रि.)
19.03.2018

सरकार के विशेष सचिव
44